संख्या– 698/XXIV(1)/2004

प्रेषक,

एस0के0माहेश्वरी ,
अपर सचिव ,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी ,नैनीताल ।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 31 जनवरी, 2005

विषयः– विशिष्ट महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 में अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः/डिग्री विकास/6270/2004–2005 दिनांक 5–10–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,उत्तरकाशी में कला संकाय के शिक्षण कक्षों एवं विभागीय कक्षों के दुमंजिले भवन के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन रु0 111.40 लाख के विरुद्ध रु0 82.50 लाख (रुपये बयासी लाख पचास हजार)पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 में प्रथम किस्त के रुप में रु0 40.00 लाख (रुपये चालीस लाख मात्र) की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान करते हैं :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एवं मुख्त प्राविधानों का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन कराना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भ वेत्ता के साथ अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण आख्या के अनुरुप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों में किया जाय एक मद की राशि दूसरे मद में कदापि व्यय न किया जाय।

(8) निर्माण कार्य पर प्रयोग करने वाली समस्त सामग्री का प्रयोग से पूर्व प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

2– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि निर्माण स्थल के सुरक्षित होने के सम्बन्ध में सी0बी0आर0आई0 / आई0आई0टी0रुड़की से परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निमार्ण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा ।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय– व्ययक की अनुदान संख्या– 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202– शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा –11–आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना –00––24– वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 19 / XXIIV(I)2005 दिनांक 15 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(एस0के0माहेश्वरी)
अपर सचिव ।

संख्या– 698 (1)/ XXIV(1) / 2004–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून ।
(2)कोषाधिकारी , नैनीताल।
(3)निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें ,उत्तरांचल ।
(4)सम्बन्धित निर्माण इकाई ।
(5)निजी सचिव, मा0मुख्यमन्त्री,उत्तरांचल।
(6)निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
(7)प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,उत्तरकाशी।
(8)वित्त अनु–1, / नियोजन अनुभाग,उत्तरांचल शासन ।
(9)गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के0 पी0 पाटनी)
अनु सचिव ।